न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 64/2019 **दायरा दिनांक : 05.08.2019**

उनवान

1— रमेश आत्मज कन्हैया लाल, जाति माली, निवासी ग्राम पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— बद्रीलाल आत्मज कन्हैया लाल, जाति माली, निवासी ग्राम पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— भूपेन्द्र आत्मज कन्हैया लाल, जाति माली, निवासी ग्राम पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4— पुष्पा बाई पुत्री कन्हैया लाल विधवा पत्नी शम्भू दयाल, जाति माली, निवासी पुराना डाकघर के पास झालावाड़, जिला झालावाड़

5— ललता बाई पुत्री कन्हैया लाल, जाति माली, निवासी रेल्वे स्टेशन मस्जिद वाली गली, कोटा जक्शन, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

6— कन्हैया लाल पुत्र भंवरलाल, जाति माली, निवासी ग्राम पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— शिव प्रसाद पुत्र किशनलाल, जाति माली, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— जगदीश पुत्र किशनलाल, जाति माली, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– सूरजी बाई पुत्री किशन लाल पत्नी बद्रीलाल, जाति माली, निवासी कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां

4– स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 804/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली संग्रहासार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अकारण ही अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है । ग्राम देवपुरा उर्फ नयागांव के माल में प्रताप पुत्र सांवला, जाति माली, निवासी पीपलाज के खातेदारी में खतौनी संख्या 77 की खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित थी, ग्राम पीपलाज के माल में खसरा नम्बर 300 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1122 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल 2 किता की 6

बीघा 12 बिस्वा आराजी प्रताप वल्द सांवला के खाते में स्थित थी । ग्राम पीपलाज की खसरा नम्बर 1487 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा आराजी छोटी बाई विधवा पत्नी प्रताप माली की गैर खातेदारी में स्थित थी । इसी प्रकार से ग्राम पीपलाज में खसरा नम्बर 301 रकबा 10 बिस्वा आराजी छोटी बाई पत्नी प्रताप के खातेदारी में दर्ज थी । प्रताप उर्फ रामप्रताप के जीवनकाल में ही उसका पुत्र रामकिशन 45 साल की उम्र में ही उसका लाऔलाद स्वर्गवास हो गया था । इस प्रकार से प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र सांवला के स्वर्गवास के पश्चात् उसकी पत्नी छोटी बाई विधवा पत्नी प्रताप व उसकी पुत्री कंवरी बाई का नकल इंतकाल 201 से दिनांक 03.08.1991 से उक्त आराजी इनके खाते एवं कब्जे काश्त में आयी और प्रताप उर्फ राम प्रताप पुत्र सांवला की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा पत्नी छोटी बाई एवं पुत्री कंवरी बाई के खाते एवं कब्जे काश्त में उपरोक्त आराजी निरन्तर एवं निर्विरोध रूप से चली आ रही है और वर्तमान में भी उक्त आराजी उनके खाते एवं कब्जे काश्त में है तथा उपरोक्त आराजी का उपयोग एवं उपभोग अपीलांट ही करते चले आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी कर रहे हैं । भंवरी बाई का प्रताप उर्फ राम प्रताप पुत्र सांवला की पुत्री नहीं है और न ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इसका कोई सम्बन्ध है । इस कारण रेस्पोडेंट को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और न ही उक्त वाद प्रस्तुत करने हेतु सक्षम व्यक्ति ही थे । इस कारण से उक्त वाद प्रथम दृष्टया ही रेस्पोडेंट का दस्तावेज साक्ष्य के अभाव में विधिक रूप से खारिज होने योग्य था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त वाद में प्राथमिक डिकी एवं निर्णय पारित करके कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट वादीगण के द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि उनका वाद कानूनी रूप से प्रमाणित होता हो । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट वादी के द्वारा प्रस्तुत किये वाद में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी प्रस्तुत किया है परन्तु उसके लिए रेस्पोडेंट वादीगण को उक्त आराजी का विधिवत खातेदार

होना एवं कब्जा होना प्रमाणित हो तब जाकर ही धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद चलने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 व 2 रेस्पोडेंट वादीगण के पक्ष में तथा तनकी नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 8 रेस्पोडेंट के विरूद्ध तय करने में कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2019 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट द्वारा आर. आर. टी 2008 (1) पेज 151, ए. आई. आर. 1998 उडीसा पेज 117, आर. आर. डी. 2016 पेज 135, आर. आर. डी. 2019 पेज 47, आर. आर. डी. 1988 पेज 143 व आर आर डी 14.12.2019 पेज 790 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई एवं अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा 2013 (2) आर. आर. टी. पेज 1054 (एस. सी.), 2003 (2) डी. एन. जे. (एस. सी.) पेज 346, 1975 आर. आर. डी. पेज 52, 1991 आर. आर. डी. पेज 410, 2010 (2) आर. आर. टी. पेज 1423, 2018 (1) आर. आर. टी. पेज 322 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

पत्रावली का अध्ययन किया गया, साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने भंवरी बाई को बिना समुचित प्रमाण के खातेदारी अधिकार का पात्र माना है जो विधि मान्य नहीं है । खातेदारी अधिकार की घोषणा हेतु ऐसा कोई साक्ष्य, आधार नहीं है जो पक्षकारों के हक अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विवाद को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता हो, बिना समुचित प्रमाण के हकाधिकार से दूसरे पक्ष को वंचित किया गया है । अतः निर्णय दोषपूर्ण है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2019 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा